सं. 128] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2005/भाद्र 22, 1927
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005/BHADRA 22, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2005

सं. टीएएमपी/28/2005-एमबीपीटी.—महापत्तन् न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा डॉक्स में प्रभारित, मुंबई पत्तन न्यास के दरमान के खंड III को संलग्न आदेशानुसार संशोधित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण स. टीएएमपी/28/2005-एमबीपीटी

मुबई पत्तन न्यास .... आवेदक

आदेश

(अगस्त 2005 के 30 वें दिन पारित)

यह प्रकरण अपने डॉक के दरमान (डीएसआर) के खंड III लाइसैंस (मंडारण) शुल्क और वेयर हाऊसिंग प्रमार में सशोधन हेतु मुबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव मे उठाए गए मुख्य बिन्दु सक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(i) पन्ना आयल फील्डस में समुद्र के भीतर तेल और गैस की खोज करने कुएं खरीदने और निर्माण कार्यों को सहयोग देने हेतु तट आधारित सुविधा के रूप में उपयोग करने के लिए मेसर्स आर्या ऑफ शोर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड (एओएसपीएल) ने केवल उसके उपयोग की सुविधा के रूप में, 5 वर्ष के पट्टे पर एक टर्मिनल के लिए अनुरोध किया है। एओएसपीएल को ऐसे क्षेत्रों में अपनी सामग्री के मंडारण और बल्क हैन्डलिंग इक्विपमैंट्स की संस्थापना के लिए खुले और ढके हुए क्षेत्रों की आवश्यकता है। एओएसपीएल को अपनी बैक-अप सामग्री के मडारण के लिए ढके हुए और खुले स्थान के साथ टर्मिनल से हटकर भी कुछ मंडारण सुविधा चाहिए।

(ii) गोदियों (डॉक्स) और बाहरी क्षेत्रों में कार्गो के मडारण के लिए गोदी दरमान (डीएसआर) मे वर्तमान प्रावधान 30 दिन तक मडारण के लिए लागू होते हैं। उसके बाद, विलम्ब शुल्क लगाया जा सकता है। समुद्र के भीतर आपूर्ति-आधार की अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुसार कार्गो 30 दिन से अधिक समय तक रहता है, और इसलिए 30 दिन से आगे की अवधि के मडारण के लिए भी एक दर निर्धारित करना आवश्यक है। तदनुसार, इस प्रकार के दीर्घावधि मडारण के लिए डीएसआर में प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

(iii) एओएसपीएल का यह प्रस्ताव, इस समय अप्रयुक्त पडे बर्थों, खुले और ढके हुए क्षेत्रों के उपयोग से अतिरिक्त वृद्धिकारी यातायात आकर्षित करेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के 60% उपयोग स्तर से भी प्रतिवर्ष कुल 2.33 करोड़ रुपये की कुल आमदनी होने का अनुमान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(क)	भंडारण प्रभार	रु. 1,02,96,800
(ख)	पोतघाट भाड़ा और जहाजी हमाली (स्टीवेडरिंग)	रु. 78,24,000
(ग)	60% उपयोग की दर से बर्थ किराया प्रभार, पाइलटेज, पत्तन देयताएँ इत्यादि	रु. 51,93,408
		रु. 2,33,14,208

(iv) एमबीपीटी ने डीएसआरमे निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित करने का प्रावधान किया है:

उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सुविधाओं, कार्गो प्रहस्तन उपकरण की स्थापना सहित या के बिना भण्डारण / कार्गो प्रचालन के लिए लाइसैंस शुल्क

क्र.सं.	अवधि	लागू दरें
	अनुमति मिलने की तिथि से समाप्ति तक,-------------- के लिए	प्रति वर्ग मी. या उसके अंश के लिए प्रति माह या उसके अंश की दर
क	खुला क्षेत्र	रु. 50/-
ख	ढका हुआ क्षेत्र	रु. 60/-

टिप्पणी : सुविधाओं / कार्गो प्रहस्तन उपकरण की स्थापना मुख्य अभियता / मुख्य अभियात्रिक अभियता की अनुमति के अधीन होगी और उन्हे 15 दिन के भीतर खोल लिया और हटा लिया जाएगा ।

(v) प्रस्तावित दरें टीएएमपी के दिनांक 8 अप्रैल 2002 के अनुरूप टीएएमपी द्वारा फाइनल दरें निर्धारित करने तक तदर्थ आधार पर लागू की जाएंगी । एओएसपीएल ने दिनांक 21 फरवरी 2005 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित दरों को स्वीकार कर लिया है ।

(vi) यद्यपि एओएसपीएल ने सुविधा का अधिकार केवल अपने उपयोग के लिए प्रदान करने का अनुरोध किया है, एमबीपीटी ने बर्थ का उपयोग एकल उपयोग के बिना, साझा उपयोगकर्त्ता आधार पर अनुमत करने का प्रस्ताव किया है जिसमें, अन्य उपयोगकर्त्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर आबंटन का अधिकार एमबीपीटी के पास होगा ।

(vii) जैसा कि प्रस्तावित दरें परस्पर सहमत दरे है, टीएएमपी द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(viii) एमबीपीटी के न्यासी मंडल ने 8 फरवरी 2005 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

3. यद्यपि, यह प्रस्ताव एकल उपयोगकर्ता मामले में तुरंत उचित लग सकता है, प्रस्तावित संशोधन का, यदि इसे डीएसआर में लागू किया गया तो, समान रूप से लागू किया जाएगा । अतएव, प्रस्ताव की एक प्रति सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी ।

4. उपयोगकर्त्ताओं द्वारा भेजी गई टिप्पणियों की एक-एक प्रति प्रतिपूरक सूचना के रूप में एमबीपीटी को भेजी गई थी । एमबीपीटी ने दिनाक 30 जून 2005 के अपने पत्र द्वारा उनका उत्तर दिया है ।

5. प्रस्ताव की प्राथमिक जाच-पड़ताल पर यह पाया गया कि प्रस्ताव से उभरने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । तदनुसार, एमबीपीटी से अतिरिक्त सूचनाएं / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । हमारे प्रश्न और एमबीपीटी के उत्तर सारणीबद्ध रूप में नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	हमारे प्रश्न	एमबीपीटी के उत्तर
1.	शैडों और खुली जगह में भंडारण के लिए भंडारण शुल्क की दरें एमबीपीटी के डीएसआर के खंड-III क के अन्तर्गत निर्धारित है । जिन परिस्थितियों में ये दरें लागू की जा सकती हैं, उनमें विशेष परिस्थितिया भी हैं । डीएसआर के खंड-III के अन्तर्गत निर्धारित दरें 4 माह से अधिक अवधि तक भंडारण के लिए भी लगाई जा सकती हैं । अतएव, एमबीपीटी से अनुरोध है कि वह एओएसपीएल को भंडारण स्थान आबंटित करने हेतु अलग दरें प्रस्तावित करने का कारण बताए जबकि अधिसूचित दरमान में विशिष्ट दरमान उपलब्ध हैं ।	खंड -III क के प्रावधान, प्रदत्त विनिर्देशों से अधिक माप वाले पैकेजो पर ही लागू हैं । यह धारा आदेश स. टीएएमपी/62/99-एमबीपीटी दिनाक 12 मई 2000 के अन्तर्गत डाला गया था । इस प्रकार संदर्भित मामले में इन प्रावधानों को लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।
2.	एमबीपीटी इस बात की पुष्टि करे कि प्रस्तावित दर तुलनीय सेवाओं के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क पर आधारित / से व्युत्पन्न है । प्रस्तावित दर का आधार और उसकी गणना भी प्रस्तुत की जाए ।	प्रस्तावित दर खंड III ख, III ग (i) और III ग (ii) के अन्तर्गत तुलनीय सेवाओं के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क से व्युत्पन्न आधारित है । खंड III ग ढके हुए क्षेत्रों के लिए 30 दिन तक भंडारण शुल्क और उसके बाद देय विलम्ब शुल्क के रूप में रु. 25/- प्रति वर्ग मी. और खुले क्षेत्रों के लिए रु. 20/-प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करता है । चूंकि प्रस्तावित प्रावधानों के

(1)	(2)	(3)
		अन्तर्गत दीर्घावधि भंडारण की अनुमति देकर, 30 दिन से अधिक मंडारण के लिए एमबीपीटी को विलम्ब शुल्क छोड़ना होगा, यह आवश्यक समझा गया कि खंड III ग (i) के अन्तर्गत दर से उच्चतर दर निर्धारित की जाए । खंड III ख के अन्तर्गत बांडेड कार्गो के दीर्घावधि मंडारण के लिए निर्धारित दरें वर्गीकृत दरमान है अर्थात 4 सप्ताह के बाद मंडारण की दर शैडों के लिए रु. 60/- प्रति वर्ग माह और खुले क्षेत्रों के लिए रु. 48/- प्रति व.मी. प्रति माह है । खुले क्षेत्रों के लिए रु. 50/- प्रति वर्ग मी. और रू. 60/- प्रति व मी की प्रस्तावित दरें खंड III ग (ii) के अन्तर्गत दरों से जो (कार्गो भंडारण से इत्तर उपयोग के लिए) कार्गो प्रचालन के प्रबंधन हेतु लाइसैंस शुल्क को लागू होती हैं, से बहुत कम रखी गई हैं ।
3.	एमबीपीटी ने यह कहा है कि प्रस्तावित दरें, एमबीपीटी और एकमात्र उपयोगकर्त्ता के बीच परस्पर सहमत दरें हैं । तथापि, प्रस्तावित दरों पर उपयोगकर्त्ता की सम्मति के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।	एमबीपीटी ने एओएसपीएल के दिनांक 21 फरवरी 2005 के उस पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें एओएसपीएल ने बर्थो और भंडारण क्षेत्र के उपयोग के लिए शर्तों और निबंधनों को स्वीकार किया है ।
4.	न्यासी मंडल की बैठक में चर्चा-टिप्पणी में कहा गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था 11 माह की अवधि के लिए होगी और यह 11 माह की एक और अवधि के लिए उसका पुनर्नवीकरण करवाया जा सकता है । किन्तु इस प्रावधान को दरमान में शमिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।	11 माह की अवधि की प्रस्तावित व्यवस्था और उसको 11 माह की एक और अवधि के लिए पुनर्नवीकृत करने का प्रावधान जिसका उल्लेख चर्चा-टिप्पणी में किया गया है, केवल एओएसपीएल के प्रकल्प के लिए ही है । अवधि का प्रावधान प्रत्येक मामले में अलग होगा । इसलिए, अवधि के विषय से सशर्तता को दरमान में शामिल नहीं किया गया है ।
5.	एमबीपीटी से अनुरोध है कि वह इस बात की पुष्टि करे कि बर्थ आरक्षण योजना के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य मार्ग निर्देश में एओएसपीएल को बर्थ आबंटन की प्रस्तावित व्यवस्था शामिल नहीं होगी ।	बर्थो को साझा उपयोगकर्त्ता आधार पर उपयोग के लिए उद्दिष्ट किया गया है । अतएव, बर्थ आरक्षण योजना लागू नहीं होगी ।
6.	एओएसपीएल को न्यूनतम माल-आवक की गारंटी देनी है और उसी पर विचार करते हुए प्रस्तावित भंडारण दरों की अनुमति दी गई हैं । चूंकि दरमान में संशोधन सब पर समान रूप से लागू होगी, एमबीपीटी इस बात की जांच करे कि क्या दरमान में एमजीटी आवश्यकता को सशर्तता के रूप में शामिल करने की जरूरत है ।	यद्यपि प्रस्ताव मे न्यूनतम गारंटी शुदा माल-आवक को शामिल किया गया है, भंडारण की दरें एमजीटी से सम्बद्ध नहीं हैं । एमजीटी का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि भंडारण क्षेत्रों को उद्दिष्ट किए जाने और बर्थों के उपयोग की अनुमति का औचित्य सिद्ध करने के लिए कार्गो की आवक जावक और पोतों के आगमन का आकलन किया जा सके ।

6. इस प्रकरण मे संयुक्त सुनवाई 30 जून 2005 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी । उस संयुक्त सुनवाई में एमबीपीटी और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित कार्यवाही-विवरण इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध है । ये विवरण इस प्राधिकरण के वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

8. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित हुई सूचनाओं की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के डॉक दरमान (डीएसआर) में कार्गो के दीर्घावधि भडारण के लिए साप्ताहिक आधार पर शुल्क लगाने का प्रावधान है । तथापि यह प्रावधान तभी लागू होता है जब सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान के अधीन बॉन्डेड कार्गो का पत्तन की सुविधाओं में भंडारण किया जाता है । इस प्राधिकरण द्वारा सितम्बर 2001 के अपने आदेश में अनुमोदित एक अन्य प्रावधान 30 दिन तक कार्गो के भंडारण के लिए लाइसैंस-शुल्क की दरों से संबधित है और विलम्ब शुल्क आयात कार्गो के निर्धारित दरों पर 31 वें दिन से लगाया जा सकेगा । सितम्बर 2001 के आदेश में अनुमोदित एक और प्रावधान कार्गो प्रचालन के प्रबंधन के लिए उपयोगकर्त्ताओं को आवंटित स्थान के उपयोग हेतु लाइसैंस शुल्क लगाने के संदर्भ में है । वास्तव में, वर्तमान डीएसआर में, 30 दिन से भी आगे कार्गो भंडारण हेतु, विलम्ब शुल्क के तत्व के बिना, लाइसैंस शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ii) अपेक्षा से कम उपयोग लाई जा रही सुविधाओं का इष्टतम लाभ उठाने के उद्देश्य से एमबीपीटी ने दीर्घकालिक आधार पर भंडारण और कार्गो प्रचालन हेतु लाइसैंस शुल्क लगाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । चूंकि वर्तमान प्रशुल्क व्यवस्था, जिसमें दीर्घकालिक भंडारण के लिए किराया शर्तों और विलम्ब शुल्क शर्तों का मिश्रण लगाया गया है, अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिसाद जगाने मे आकर्षण नहीं पाई गई है, पत्तन में गोदियो के भीतर दीर्घकालिक भंडारण हेतु किराया शर्तों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव किया है ।

(iii) एमबीपीटी ने बर्थो मे और बर्थो से दूर भंडारण क्षेत्र के साथ-साथ साझा उपयोगकर्त्ता और बिन-एकल उपयोग आधार पर बर्थो के आबंटन हेतु एक निजी प्रचालक के साथ एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है । तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय ने, अग्रिम बर्थ आरक्षण हेतु शर्तों और निबन्धन सुनिश्चित करते समय पत्तन न्यासो को प्रचालनीय स्वतंत्रता देने के लिए जून 1992 मे सामान्य मार्गदर्शी जारी किए थे । इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में पत्तन ने पुष्टि की है कि चूकि बर्थों को साझा उपयोगकर्त्ता आधार पर उपयोग के लिए उदि्दष्ट किया गया है, इस मामले में बर्थ आरक्षण मार्गदर्शी लागू नहीं होते हैं । बहरहाल, बर्थों और बैक-अप-एरिया का आबटन एमबीपीटी का प्रबधकीय निर्णय है और इस प्राधिकरण का संबध कार्गो के भंडारण के लिए लाइसैंस शुल्क के निर्धारण से है ।

(iv) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एमबीपीटी ने खुले क्षेत्र के लिए रु. 50/- प्रति वमी. प्रति माह और ढके हुए क्षेत्र के लिए रु. 60/- प्रति वमी. प्रति माह भंडारण शुल्क प्रस्तावित किया है । प्रस्तावित दरों के समर्थन मे एमबीपीटी द्वारा कोई लागत-औचित्य नहीं दिया गया है । जैसाकि इस विश्लेषण के आरम्भिक चरण मे उदघाटित किया गया, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत बांडेड सामान के भंडारण हेतु एमबीपीटी को वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, ढके हुए क्षेत्र में रु. 60/- प्रति वमी. प्रतिमाह या उसके अंश और खुले हुए क्षेत्र में रु. 48/- प्रति वमी. प्रति माह या उसके अंश के लिए लगाने का अधिकार प्राप्त है ।

प्रस्तावित दर, न्यूनाधिक रूप से, बांडेड कार्गो के लिए निर्धारित वर्तमान दरों के समकक्ष बैठते हैं । निकट भविष्य में आगत सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में पूर्ण लागत विवरण प्रस्तुत करने हेतु एमबीपीटी द्वारा दिए गए शपथ पत्र को मान्य करते हुए और (यह देखते हुए कि) प्रस्तावित दरें एमबीपीटी और इस समय, सुविधाओं के एक मात्र प्रासंगिक उपयोगकर्त्ता के बीच परस्पर सहमत दरे है, यह प्राधिकरण पत्तन के दरमान के अगले सामान्य संशोधन के क्रियान्वयन तक अन्तरिम उपाय के रूप में प्रस्तावित दरो को अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है ।

(v) दि इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर (आईएमसी) ने इस विचार के साथ कि एमबीपीटी के खुले क्षेत्र का लाभप्रद रुप से उपयोग किया जा सकता है, खुले क्षेत्र के लिए रू. 50/- प्रति वर्ग मी. प्रति माह के स्थान पर रु. 30/- प्रति वमी. प्रति माह के पक्ष में तर्क दिया है । एमबीपीटी ने यहाँ ठीक ही उल्लेख किया है कि इस प्राधिकरण द्वारा तय की गई दरें संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियो की धारा 2.16.1 के अनुसार उच्चतम दरें होंगी और पत्तन अपनी वाणिज्यिक परिस्थितियों के अनुसार निम्नतर स्तर पर भी दरों को प्रचालित कर सकता है ।

(vi) (क) निजी प्रचालक ने प्रस्तावित दरों को अपनी सम्मति के प्रति अपनी पूर्वधारणा के बिना,यातायात-लागत और इतर आनुषंगिक लागतों के आधार पर पत्तन से दूर सुविधाओ और पत्तन के भीतर की सुविधाओं के लिए विभेदीय दरों का सुझाव दिया है । यद्यपि एओएसपीएल द्वारा उद्धृत कारणों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न-भिन्न दरो के विषय में उठाये गए मुद्दे पर विचार किए जाने लायक दम है । जैसाकि एमबीपीटी ने बताया है, 15 कि.मी. तक फैले परिसर में सम्पदा की कीमत, सेवा प्रदान करने की लागत इत्यादि समान नहीं हो सकती । लागत-आधारित दरें निर्धारित करते समय एमबीपीटी को यह पहलू अपने ध्यान मे रखना चाहिए ।

(ख) कार्गो के दीर्घकालिक भंडारण के लिए कुछ कम दरे निर्धारित करने हेतु एओएसपीएल के तर्क में उस पर विचार किए जाने लायक दम है । यदि दीर्घकालिक भंडारण की अनुमति दी गई तो एमबीपीटी को विलम्ब शुल्क छोड़ना पडेगा, विलम्ब शुल्क से होने वाली आय की भरपाई करने हेतु (उच्चतर) दर निर्धारित करने का एकमात्र कारण नज़र नहीं आता है । यहाँ इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि किराया प्रावधान को अनुमति प्रदान करने का एक उद्देश्य पत्तन की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करना भी है । विलम्ब शुल्क जो रुकावट डालने वाला और जिससे दण्डित करने की ध्वनि आती है, आमतौर पर आरोही मान में निर्धारित किया जाता है या बताया जाता है । चूंकि किराया प्रावधान विलम्ब शुल्क से भिन्न है और इस प्रकार की व्यवस्था से सुनिश्चित राजस्व उत्पादन को ध्यान मे रखते हुए, लाइसैंस की अधिकतम अवधि के भीतर, पत्तन जो भी प्रदान करना चाहे, विभिन्न समयावधियों के लिए अवरोही दरमान पर विचार करना उचित होगा । अपने दरमान की अगली सामान्य समीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय एमबीपीटी इस सुझाव को अपने ध्यान में रखे ।

(vii) ऊपर पैराग्राफ 2 (iv) मे प्रदत्त मद के अधीन प्रस्तावित ''टिप्पणी'' इस बारे मे विवेकाधीन शक्तियाँ मुख्य अभियंता / मुख्य अभियांत्रिक अभियंता को प्रत्यायोजित करने की माग करती है । इस प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास रहा है कि किसी पत्तन के दरमान मे, उस पत्तन न्यास के विभिन्न अधिकारियों में अधिकारों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था न की जाए । ऐसे सभी मामलों मे हम (प्रस्तावित अधिकारी के स्थान पर) पत्तन का नाम देते आए है। तदनुसार, यहां, ''मुख्य अभियंता / मुख्य अभियांत्रिक अभियंता'' के स्थान पर ''एमबीपीटी या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति'' उल्लेख किया गया है ।

(viii) साधारणतया, प्रशुल्क आदेश भावी तिथि से कार्यान्वित किए जाते हैं जब विशेष परिस्थितियों की इस प्रकार अधिकार प्रदान करने की माग न हो, यह प्राधिकरण पिछले प्रभाव से कार्यान्वनय प्रदान नहीं करता । संदर्भित वर्तमान प्रकरण में, दरों के लिए निजी प्रचालक की सम्मति से एमबीपीटी ने तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों को कार्यान्वित कर दिया है । इस प्राधिकरण ने दिनांक 8 अप्रैल 2002 के अपने आदेश में महापत्तनों और निजी टर्मिनल प्रचालकों को, जब तक इस प्राधिकरण द्वारा अन्तिम दर नहीं स्वीकृत की जाती तब तक की अन्तरिम अवधि के लिए तदर्थ दर लगाने का सामान्य अधिकार प्रदान किया है । यह प्रावधान उस शर्त के अधीन है जिसके अनुसार अन्तरिम अवधि में प्रचालित की जाने वाली दर तुलनीय सेवाओ के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क पर व्युत्पन्न आधारित है और इस पर पत्तन न्यास और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता की परस्पर सहमति होनी चाहिए । चूंकि यह प्राधिकरण प्रस्तावित दरो को अनुमोदन प्रदान करने में प्रवृत्त है और प्रस्तावित दरों के प्रति परस्पर सम्मति पर विचार करते हुए, दरो को पिछले प्रभाव से अनुमोदन प्रदान करने से कोई जटिलता पैदा नहीं होगी । पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरो को पिछले प्रभाव से लागू करने की तिथि पत्तन के प्रस्ताव से स्पष्ट नहीं है । चूंकि इसके न्यासी मंडल ने अन्तिम दर तय होने तक प्रस्तावित दरों को तदर्थ आधार पर लागू करने का अपना अनुमोदन 8 फरवरी 2005 को हुई अपनी बैठक में दे दिया था । प्रस्तावित दरों को पिछले प्रभाव 8 फरवरी 2005 से अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

(ix) एमबीपीटी ने अपने प्रशुल्क के व्यापक संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव इस प्राधिकरण के समक्ष 15 अगस्त 2005 तक दाखिल करने पर अपनी सहमति जताई है। जैसाकि पहले उद्धृत किया जा चुका है, वर्तमान प्रस्ताव लागत आधारित नहीं है, और पत्तन ने अपने अगले सामान्य संशोधन प्रस्ताव में लागत-विवरण देना स्वीकार किया है। अतएव, प्रस्तावित दरों को एमबीपीटी के संशोधित दरमान लागू करने तक कार्यान्वित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

8.1. अन्त में और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, गोदियों में प्रभारित दरमान के खंड III के वर्तमान उपखंड ग (I) के नीचे निम्नलिखित को उप-खंड ग (II) के रूप में डालने को और वर्तमान खड ग II को खंड ग III की संख्या देने को अनुमोदन प्रदान करता है :

"ग(II) - उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सुविधाओं, कार्गो प्रहस्तन उपकरणों की संस्थापना सहित/के बिना भंडारण/कार्गो प्रचालन हेतु लाइसैंस शुल्क

अवधि	लगाए जा सकने वाली उच्चतम दरें
---- के लिए, अनुमति की तिथि से लाइसैंस अवधि की समाप्ति तक	प्रति वर्ग मी. या उसके अंश के लिए प्रति माह या उसके अंश पर
क. खुला क्षेत्र	रु. 50/-
ख. ढका हुआ क्षेत्र	रु. 60/-

टिप्पणी: सुविधाओं / कार्गो प्रहस्तन उपकरणों की संस्थापना एमबीपीटी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की स्वीकृति के अधीन होगी और यह 15 दिनों के भीतर खोल ली जाएगी और हटा ली जाएगी।

8.2. उपरोक्त दरें 8 फरवरी 2005 से एमबीपीटी के संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तिथि तक प्रचालित रहेंगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005-असा.]